न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जालोर।

पीठासीन अधिकारी —— डॉ. संजय कुमार गुप्ता
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 265/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 123/2026, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, अंतर्गत धारा 308(2), 308(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023

मुबारक खां खोखर पुत्र भूरे खां खोखर, उम्र 78 वर्ष, निवासी उपर कोटा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर।

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक, जालोर

.... अप्रार्थी

——

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थितः—

1 श्री ईश्रार खान, अभिभाषक—प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2 श्री ओमप्रकाश व्यास, विद्वान लोक अभियोजक—राजस्थान राज्य।
3 श्री कुनाल मेहता, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश दिनांक 20.06.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त मुबारक खां खोखर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने

किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर गंभीर प्रकृति का अपराध कारित करने का आरोप है। अतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जाए।

5. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर काजी ट्रेवल्स फर्म के मालिक सलीम मोहम्मद व उसके पुत्र इकबाल खां काजी को उसकी बसों के संबंध में झूठी शिकायत कर जबरन वसूली करने हेतु धमकी देने, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पैसे की मांग करने, पैसे नहीं देने की सूरत में प्रतिष्ठा पर लांछन लगाने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने एवं स्वयं को खामनाई ईरानी शासक के समान बताकर भय कारित करने के आरोप हैं। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 308(2), 308(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना जाहिर आया है–

क.सं.	प्रकरण संख्या	पुलिस थाना	धारा	वर्तमान स्थिति
1.	166/2026	कोतवाली	115(2), 126(2), 304(2), 324(2) भारतीय न्याय संहिता	जैर अनुसंधान
2.	171/2026	कोतवाली	303(2) भारतीय न्याय संहिता	जैन अनुसंधान

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरण पूर्व से लंबित हैं। परंतु प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार

नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त मुबारक खां खोखर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत मुचलका एवं 25,000–25,000/– रुपये की दो प्रतिभूतियां इस आशय के साथ प्रस्तुत कर संतुष्ट कर दे कि वह प्रत्येक नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMWP (Cri) No. 04/2021 "IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL" में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों की अनुपालना में इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ जिला कारागृह, जालोर की विभागीय वैध ई–मेल आई.डी. के माध्यम से प्रेषित की जाए।

(डॉ. संजय कुमार गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
जालोर
(लिंक अधिकारी)

9. आदेश आज दिनांक 20.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. संजय कुमार गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
जालोर
(लिंक अधिकारी)